तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर./4903/2006/जोधपुर मदनलाल बनाम गौतमचन्द	नम्बर व तारीख

<u>न्यायालय – राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

<u>एकलपीठ</u>

श्री राजेश कुमार दड़िया, सदस्य

–आदेश–

दिनांकः– 02–12–2025

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री गौरव दवे उपस्थित। अप्रार्थी संख्या– 1 ता 26 की ओर से कोई उपस्थित नहीं। अप्रार्थी संख्या– 27 यशवंत भाटी पुत्र श्री ज्ञानेश्वर भाटी हाल निवासी A–189 शास्त्री नगर जोधपुर का नाम मण्डल हाजा की एकलपीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–09–2025 के क्रम में लाल स्याही से जोडा गया जिनकी ओर से अधिवक्ता श्री एस.पी. सिंह उपस्थित। बहस निगरानी पर सुनी गयी। प्रार्थी द्वारा हस्तगत निगरानी याचिका राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 84 के अन्तर्गत जिला कलक्टर, जोधपुर द्वारा प्रकरण संख्या– 08/2005 बउनवानी गौतमचन्द बनाम मदनलाल में पारित आदेश दिनांक 05–07–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, उक्त आक्षेपित आदेश के माध्यम से जिला कलक्टर, जोधपुर द्वारा आदेश 41 नियम 27 का प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुए दस्तावेजात रिकार्ड पर लिए गए और अधिवक्ता अपीलांट को इन दस्तावेजों की प्रतियां रेस्पो0 के अधिवक्ता को दिए जाने के आदेश प्रदान किए गए थे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश पारित करने में कोई अवैधानिकता कारित किया जाना प्रतीत नहीं होता है। रैस्पो0 को दस्तावेजात की नकल प्रदान की गयी है जिसके रिबेटल का अधिकार इनके पास सुरक्षित रहता है। इसलिए उपरोक्त निगरानी अस्वीकार कर खारिज किए जाने योग्य है।

परिणामतः हस्तगत निगरानी याचिका खारिज की जाती है।

निर्णय प्रति अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के साथ नियमानुसार भिजवाई जावे। निर्णय की सूचना कम्प्यूटर कर दर्ज कर प्रदान की गयी। पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश कुमार दड़िया)
सदस्य